न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2022/26

मिसल नम्बर– 14 / 2022

1. अब्दुल खालिक तंवर आयु 68 वर्ष पुत्र श्री अब्दुल गफूर जाति मुसलमान निवासी अन्जुम मंजिल स्वामी विवेकानन्द स्कूल के पीछे छावनी कोटा राज0,
2. जुबेदा खालिक आयु 66 वर्ष पत्नी श्री अब्दुल खालिक तंवर जाति मुसलमान निवासी अन्जुम मंजिल स्वामी विवेकानन्द स्कूल के पीछे छावनी कोटा राज0,

प्रार्थीगण

बनाम

अल्ताफ तंवर पुत्र श्री अब्दुल खालिक तंवर आयु 41 वर्ष जाति मुसलमान निवासी अन्जुम मंजिल स्वामी विवेकानन्द स्कूल के पीछे छावनी कोटा राज0

अप्रार्थी।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 30/5/22

उपस्थितिः–

1.श्री वीरेन्द्र कुमार राठौर प्रार्थी अधिवक्ता।

2.श्री योगेश शर्मा अप्रार्थी अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिश्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण पति–पत्नी हैं, तथा वरिष्ठ नागरिक हैं। प्रार्थीगण के परिवार में तीन पुत्रियाँ परवीन, शहनाज एवं अन्जूम हैं, जिनका प्रार्थीगण निकाह कर चुके है तीनो पुत्रियॉ अपने सस्राल में निवास करती है। प्रार्थीगण के दो पुत्र आसिफ व अप्रार्थी अल्ताफ हैं, जिनका भी प्रार्थीगण ने निकाह कर दिया हैं, जिसमें से पूत्र आसिफ प्रार्थीगण के साथ निवास करता हैं, और सेवा– सुश्रूषा, देखभाल आदि करता हैं। अप्रार्थी प्रार्थीगण के गकान में ही पृथक निवास करता हैं। प्रार्थी कम 1 पूर्व में ठेकेदारी का व्यवसाय करता था, और प्राथी कृम––1 ने अपने जीवनकाल में समस्त बच्चो की शिक्षा, दिक्षा, निकाह आदि कियें गयें, चृकिं वर्तमान में प्रार्थीगण की वृद्वावस्था हैं, और प्रार्थीगण कोई व्यवराय आदि नही करते हैं. ओर ना ही आय कोई स्त्रोत हैं। प्रार्थीगिण वद्वावस्था के कारण शारीरिक रूप से भी कमजोर हैं, और किसी भी प्रकार का काम, धन्धा व व्यवसाय करने में असमर्थ हैं, प्राथी कम– 1 के ऑखो का विजन नही हैं, प्रार्थी कम– 1 की एक आँख में कोई विजन नही है, तथा दुसरी ऑख में डेमेज हो रहा है। जिसके कारण प्रार्थी का आंशिक विजन हैं। और प्रार्थी कम– 2 ही प्रार्थी कम– 1 को लाने, ले जाने, उठने–बैठने व दिनचर्या में सहयोग करती है, इस प्रकार प्रार्थीगण की वृद्वावस्था होने के कारण एक–दुसरे पर आंशिक हैं, और उनकी आय का कोई जरिया नही है। प्रार्थी कम–1 ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वअर्जित आय से

उपखण्ड अधिकारी

मकान पैमाईशी– 25 गुणा 35 वर्गफीट जी+2 वाके– अन्जुम मंजिल स्वामी विवेकानन्द स्कूल के पीछे, छावनी, कोटा, राजस्थान निर्मित किया था। उक्त मकान का ग्राउण्ड फलोर पार्किंग व गेस्ट रूम व ड्राईग रूम निर्मित हैं, तथा फस्टे फलोर पर प्राथीगण एवं पुत्र आसिफ अपने परिवार के साथ निवास करता हैं, तथा सम्पूर्ण सैकेण्ड फलोर पर अप्रार्थी अल्ताफ निवास करता हैं। अप्रार्थी का निकाह के पश्चात् से प्रार्थीगण प्रति दुर्व्यवहार रहा हैं, तथा अप्रारथी की पत्नी मेमूना ने भी प्रार्थीगण को प्रार्थीगण को ना तो कोई सम्मान दिया, और ना ही जीवन यापन हेतु कोई खर्चा आदि दिया, आये दिन अप्रार्थी व उसकी पत्नी प्रार्थीगण से लडाई इगडा कर दुव्यवहार करते थें, और निकाह के पश्चात् से ही पृथक निवास करते थें, अप्रार्थी की पतनी वर्ष 2019 से अपने बच्चों के साथ पीहर निवास कर रही हैं। प्रार्थीगण को जीवनयापन हेतु सेवा व निर्वाह भत्ता की आवश्यकता हैं, लेकिन अप्रार्थी का स्वभाव कभी भी प्रार्थीगण के साथ सम्मानजनक नही रहा, और उसने निकाह के पश्चात् कभी भी प्रार्थीगण को ना तो निर्वाह भत्ता दिया, और ना ही कोई सेवा–सुश्रुषा की, जबकि अप्रार्थी पृथक से निर्माण कार्य में प्लास्टर व फ्लोरिंग का कार्य करता हैं, तथा उक्त कार्य हेतु ठेका भी लेता हैं, और उसके जीवन यापन के लिये वह अपनी आय पर निर्भर हैं। अप्रार्थी, प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग नही करता, बल्कि लडाई झगडा करता है, तथा प्रार्थीगण की सम्पत्ति को हडपना चाहता हैं। जिस हेतु आये दिन प्रार्थीगण की सम्पत्ति पर कब्जा करने की नियत से बेदखल करने की धमकी देता हैं। अप्रार्थीगण का आय का कोई जरिया नही है और, ना ही अप्रार्थी कोई सहयोग करता हैं, बल्कि उसका आचरण प्रार्थीगण के विरूद्द अमानवीय व सम्पत्ति को हडपने की नियत रखता हैं, यदि प्रार्थीगण अप्रार्थी के परिसर से किराये पर देकर अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं। इसलिये प्रार्थीगण वरिष्ठ नागरिक होने के कारण कार्यवाही करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है। प्रार्थीगण अप्रार्थी को उक्त सम्पत्ति से बेदखल कराने के अधिकारी हैं, विकल्प में अप्रार्थी से 15,000/– रूपये मासिक निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विनय है कि अप्रार्थी को प्रार्थीगण की उक्त सम्पत्ति से बेदखल किया जावें। विकल्प में अप्रार्थी से प्रार्थीगण को 15,000/– रूपये मासिक निर्वाह भत्ता दिलवाया जावें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है प्रार्थीगण के दो पुत्र होना, दोनो पुत्रो का निकाह करना स्वीकार हैं, वर्तमान में पुत्र आसिफ प्रार्थीगण के साथ निवास करना स्वीकार हैं, अप्रार्थी उसी मकान में पृथक निवास करता हैं। प्रार्थी के द्वारा पूर्व में ठेकेदारी करना स्वीकार हैं, यह स्वीकार है कि प्रार्थी वर्तमान में ढेकेदारी नहीं करता हैं, लेकिन यह जानकारी के अभाव में अस्वीकार है कि प्रार्थीगण के आय के कोई स्त्रोत हैं, अथवा नही। वर्तमान में प्रार्थी कोई व्यवसाय नही करना स्वीकार हैं। आँखो की बीमारी होना स्वीकार हैं। आय का कोई जरिया है या नही, इसकी कोई जानकारी अप्रार्थी को नही है। द्वितीय फ्लोर पर अप्रार्थी निवास करता हैं। अप्रार्थी ने कभी भी प्रार्थी के साथ दुर्व्यवहार नही किया गया हैं। अप्रार्थी के पास पर्याप्त आमदनी नही हैं, जिससे वह प्रार्थी को क्षतिपूर्ति या अन्य राशि अदा कर सकें, और अप्रार्थी की आर्थिक स्थिति के कारण ही उसकी पत्नी के द्वारा विवाद कर अलग निवास कर रही है। अप्रार्थी ने प्रार्थीगण को हमेशा सम्मान

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

दिया हैं, लेकिन अप्रार्थी की आमदनी नही हैं, जिससे कारण अप्रार्थी प्रार्थी को कोई निर्वाह भत्ता दे सके, क्योकि अप्रार्थी को अपने पत्नि व बच्चो का भी जीवन यापन करना होता हैं, और वर्तमान में भी न्यायालय के आदेशानुसार पत्नी को जीवन निर्वाह भत्ता दे रहा हैं। अप्रार्थी ने कभी भी लडाई झगडा नही किया, और ना ही सम्पत्ति को हडपने का प्रयास किया, और ना ही प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकी दी। प्रार्थीगण वर्तमान में आसिफ के साथ निवास कर रहे हैं, और उसी से जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण को अप्रार्थी को बेदखल करने का अधिकार नही हैं, और ना ही निर्वाह भत्ता प्राप्त करने का अधिकार हैं, क्योकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण पृथक–पृथक निवास करते हैं, और उनका जीवन निर्वाह पुत्र आसिफ के द्वारा किया जा रहे हैं, इसलिये कोई भी निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विनय है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। उभयपक्ष की ओर से बहस नही की गई।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों को ही आदेश हेतु आधार माना गया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं लड़ाई झगड़ा करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीगण अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी को वर्णित मकान अन्जुम मंजिल स्वामी विवेकानन्द स्कूल के पीछे छावनी कोटा राज0 से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थीगण का एक अन्य पुत्र आसिफ भी प्रार्थीगण के साथ ही निवास करता है। परन्तु प्रार्थीगण की ओर से केवल मात्र एक ही पुत्र को पक्षकार बनाया गया है एवं एक ही पुत्र से भरण पोषण हेतु राशि की मांग की है। अन्य पुत्र आसिफ से राशि की मांग नही है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी से राशि की मांग की है परन्तु प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी के व्यवसाय, अप्रार्थी को होने वाली आमदनी के बारे में स्पष्ट उल्लेख नही किया गया है। जिस कारण से प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। परन्तु न्यायहित एवं सीनियर सिटीजन एक्ट की भावना को मद्देनजर रखते हुये अप्रार्थी को पाबंद किया जाता है अप्रार्थी प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच एवं मारपीट नहीं करे और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित करे तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 30/5/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा